POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 05.08.2025

1. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधडी करनें वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 51,000 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.08.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मु0अ0सं0 367/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त 1.प्रकाश कुमार उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप प्रसाद गुप्ता 2.सत्तार अंसारी पुत्र कयूम अंसारी को भूडा कट सेक्टर-81 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 51,000 रूपये नगद बरामद हुये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के साथ पैसो को डबल करने को लेकर धोखाधडी कर पैसे हड़प लेने के सम्बन्ध में थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 367/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

1. अभियुक्तों द्वारा पैसे डबल करने का लालच देकर पहले छोटी-छोटी धनराशि जैसे 1000 रूपये, 2000 रूपये व 5000 रूपये का इस्तेमाल कर उक्त धनराशि को डबल किया जाता था।
2. अभियुक्तों द्वारा डबल होने के उपरान्त भरोसा जीतकर पैसा डबल करने के नाम पर मोटी धनराशि लगवाते थे और मौके का फायदा उठाकर पैसा लेकर भाग जाते थे।
3. अभियुक्तों द्वारा पैसे डबल करने के नाम पर नगद धनराशि का इस्तेमाल करते थे जिससे कोई साक्ष्य न मिल सके।
4. अभियुक्तों द्वारा अधिकतर पकड़े जाने के डर से व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग किया जाता था, ताकि पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।
5. अभियुक्त उपरोक्त पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते थे तथा एक जगह टिक कर नही रहते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रकाश कुमार उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम कोईर पुरवा पोस्ट बक्सर, जिला- बक्सर बिहार वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, नोएडा शिक्षा-बीकाम।
2. सत्तार अंसारी पुत्र कयूम अंसारी निवासी दल्लूपुरा, दिल्ली वर्तमान निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, नोएडा उम्र करीब 28 वर्ष शिक्षा कक्षा-10

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 367/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

51,000 रूपये नगद

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा कॉपर तार चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए करीब 22 किलोग्राम कॉपर तार बरामद थाना फेस -1 पुलिस द्वारा कम्पनी से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 02 मोटर, 01 फोल्डेबल सीढ़ी, 3500 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.08.2025** को **थाना सेक्टर-58** पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से कार्रवाई करते हुए कॉपर तार चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. तुषार पुत्र राजकुमार 2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र चौब सिंह 3. सुभाष पुत्र दुलीचन्द्र को थाना सेक्टर-58 क्षेत्रांतर्गत कम्पनी से गिरफ्तार किये गये है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए करीब 22 किलोग्राम कॉपर तार, जिसकी अनुमानित कीमत 20 हजार रुपये बरामद किए गए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा थाना सेक्टर-58 पर सूचना दी गई कि वादी की कम्पनी से 03 सफाई कर्मचारियों द्वारा कॉपर तारों को चोरी करने कट्टे में भरकर ले जा रहे थे। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर चोरी किए गए कॉपर तार बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. तुषार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कोंडली बगीची, देवरी रोड, आगरा वर्तमान पता दीपक विहार, खोडा कालोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र चौब सिंह निवासी ग्राम रसीदपुर, सादाबाद, हाथरस, उम्र करीब 35 वर्ष।
3. सुभाष पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम आम का नंगला, थाना जलेसर, एटा वर्तमान पता दीपक विहार, खोडा कालोनी, गाजियाबद, उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 279/2025 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

करीब 22 किलोग्राम कॉपर तार।